न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल

निर्णय दिनांकः–08.07.2024

प्रकरण सख्याः– 06/2023 अपील

1. श्री प्रकाश कुमार गोर माता सुर्यकांताबेन, पिता भालचंद्र गोर निवासी मालपुर तहसील मालपुर जिला अरवल्ली गुजरात।

—अपीलान्ट

बनाम

1 श्री जयेशकुमार पिता नवीनचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला हाल निवास–ए/84 अम्बिका कृपा सोसायटी निर्णय नगरनी पासे अहमदाबाद मो. 9725634073

2 श्री पंकजकुमार पिता नवीनचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला हाल निवास–एकता फेस्टिवल अपार्टमेंट बी/903 शास्त्री नगर नारायणपुरा अहमदाबाद नियर एएमटीएस बस स्टॉप के पास। मो. 9426873247

3 श्री राजेशकुमार पिता नवीनचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला हाल निवास 1004, दशमा माल, सी विंग वेदांत अपार्टमेंट उन्नत नगर पार्ट–2, एफएमजी रोड गोरेगांव वेस्ट मुम्बई 400101 मो. 9820562808

4 वनिता पिता नवीनचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला पति दीपककुमार पंडया, हाल निवास–8/यश आईकॉन पाछण गुडा प्लेट, गांधी नगर रायसाण मो. 9228739089

5 श्री जितेन्द्र पिता जयन्तिलाल जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला हाल निवास–ब्लॉक नगर 26, प्लेट नम्बर 501 अतुल सीईओ एचएसजीओजी सामें मुम्बई बैंक सिद्धार्थ नगर नियर विवेक कॉलेज गोरेगांव वेस्ट मुम्बई मो. 9833827177

6 श्री भरत पिता जयन्तिलाल जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला हाल निवास 1004, दशमा माल, सी विंग वेदांत अपार्टमेंट उन्नत नगर पार्ट–2, एफएमजी रोड गोरेगांव वेस्ट मुम्बई 400101 मो. 8369398928

7 वीणा पिता जयन्तिलाल जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला, पति हरिहर कुमार त्रिवेदी हाल निवास निवासी धम्बोला हाल निवास–ब्लॉक नगर 26, प्लेट नम्बर 501 अतुल सीईओ एचएसजीओजी सामें मुम्बई बैंक सिद्धार्थ नगर निपर विवेक कॉलेज गोरेगांव वेस्ट मुम्बई –मो. 9413677277

8 तृप्ति पिता भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला हाल निवास 1004, दशमा माल, सी विंग वेदांत अपार्टमेंट उन्नत नगर पार्ट–2, एफएमजी रोड गोरेगांव वेस्ट मुम्बई 400101 मो. 9004329766

9 पुंजा पिता भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला, पति गुरूकुमार पंडया हाल निवास आरएसडबल्यु एमआईटीबी ऋषभदेव एनएच 48 नजदीक रिलायंस पेटोल पम्प, केशरीयाजी, जिला उदयपुर, मो. 9929621163

10 रूपल पिता भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला, पति सनतकुमार उपाध्याय हाल निवास ए/302, आंकांशा–2, अपोजिट होम सोसायटी तलाटी ऑफिस नानासोपरा ईस्ट मुम्बुई पिनकोड–401209 मो. 8411889003

11 श्री विवेक पिता भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला, पति मुकेश कुमार त्रिवेदी निवासी कल्याणी प्रिन्टींग प्रेस सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान मो. 9588051890

12 श्रीमती सुशीला पत्नी भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी कल्याणी प्रिन्टींग प्रेस सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान मो. 6375074389

13 सितल पिता भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला, पति मुकेश कुमार त्रिवेदी निवासी कल्याणी प्रिन्टींग प्रेस सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान मो. 9772063889

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

14 सोनल पिता भवानीशंकर जाति ब्राहमण, पति संतोषकुमार उपाध्याय निवासी इसनपुरा चार रास्ता नी बाजुमा मनोरमा पार्क सोसायटी मुकाम पोस्ट इसनपुरा अहमदाबाद मो. 9824676209

15 श्रीमती लता पत्नि राजेन्द्रप्रसाद पंडया जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

16 श्रीमती शीला पत्नि आशीष त्रिवेदी जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

17 श्रीमती निक्की पत्नि जयेश जाति लौहार जाति ब्राहमण निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

18 श्रीमती आशा पत्नि राजेश पंचाल जाति लौहार समस्त निवासीयान धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

19 श्री भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—रेस्पोडेण्टगण

अपील बनाराजगी ग्राम धम्बोला में नामान्तरण संख्या 2174, दिनांक 03.09. 2021 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
श्री कर्तव्य शाह अपीलान्ट की ओर से।
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
श्री विरेन्द्रसिंह चौहान रेस्पोडेण्ट संख्या 15 से 18 की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.07.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट गांव मालपुर तालुका मालपुर जिला अरवल्ली गुजरात व रेस्पोडेण्टगण गांव धम्बोला के स्थायी निवासी होकर हाल अन्यत्र निवास कर रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 14 एक परिवार के सदस्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 15 से 18 अन्य व्यक्ति है,जिन्होने जमीन खरीदी है। रेस्पोडेण्ट संख्या 19 उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक विरासती आराजी मौजा धम्बोला में खाता संख्या 225, खसरा नम्बर 2118, 2120, 2162, 2259, 2268, 4747, 5318, 5532, 5533, 5553, 5554, 5555, 873, 874 खेत किता 14 कुल रकबा 1.2708 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। जो पैतृक भूमि होकर अपीलान्ट की माता सुर्यकांता के जीवितकाल में 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर विरासती रूप से थी। अपीलान्ट आज से 15 दिन पूर्व अपने संयुक्त कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित अपीलग्रस्त आराजी में माता सुर्यकांताबेन के फोत होने से विरासती नामान्तरण दर्ज कराने हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो जानकारी हुई कि रेस्पोडेण्टगण ने संयुक्त खाते का विभाजन करा दिया गया है। वहीं अपीलांट की माता सुर्यकांता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। जिस पर अपीलांट ने पटवारी से मिलकर माता सूर्यकांता के फोत होने पर खोले गए नामान्तरणकरण प्रपत्र की प्रमाणित प्रति निकालवाई तो पता चला कि अपीलांट की माता सुर्यकांता के फोत होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारी पटवारी एवं ग्राम पंचायत कोरम द्वारा सुर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलांट व उसके भाई तरूणकुमार व बहन हेमलता के बारे में पुख्ता जांच किए बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 से मिलीभगत कर सुर्यकांता का हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। जबकि विधि एवं नियमानुसार अपीलांट की माता के मृत्यु होने पर अपीलांट, उसके भाई तरूणकुमार एवं बहन हेमलता का नाम जोडा जाना था।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 3 पर

ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये उक्त नामान्तरण संख्या 2174 को रेस्पोडण्ट संख्या 1 से 14 के विधिक वारिसान होना तस्दिक कर दिया जबकि नियमानुसार सुर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलान्ट, उसके भाई तरूणकुमार एवं बहन हेमलता का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा लापरवाही बरतकर नामान्तरण दर्ज कर अपीलान्ट व उसके परिजन के नाम छोड़ दिये है। अपीलान्ट ने राजस्व कर्मचारीयों से नियमानुसार विधिक वारिसान होने से नाम दर्ज करने के लिए कहा गया तो राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलान्ट का नाम दर्ज करने से मना कर दिया। जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 एवं 19 से मिलकर नामान्तरण को निरस्त कर खाता दुरूस्त करने की बात की तो दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। ऐसे में नामान्तरण खोलने की जानकारी होने की म्याद अवधि मे अपील श्रीमान आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी पुख्ता जांच किए कॉलम संख्या 2 में अंकित भूमि के खोले गये नामान्तरण संख्या 2174 में जांच परख किए बिना ही सुर्यकांता का नाम रिकॉर्ड से हटाकर उनके विधिक वारिसानों के नाम दर्ज नहीं कर दिनांक 03.09.2021 को प्रमाणित किया गया। ऐसे में उक्त नामान्तरण संख्या 2174 खारिज कर शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा धम्बोला में खाता संख्या 225, खसरा नम्बर 2118, 2120, 2162, 2259, 2268, 4747, 5318, 5532, 5533, 5553, 5554, 5555, 873, 874 खेत किता 14 कुल रकबा 1.2708 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्से में सुर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलांट, उसके भाई तरूणकुमार एवं बहन हेमलता के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। सुर्यकांता के फोत होने के पश्चात नियम विरूद्ध खोले गए नामान्तरण के बाद ही रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 14 ने मिलकर खसरा नम्बर 2259 व खसरा नम्बर 2268 को आबादी संपरिवर्तन कराकर रेस्पोडेण्ट संख्या 15 से 18 को बेचान कर दिया गया है। जबकि रेस्पोडेण्टगण संख्या 15 से 18 को बेचान करने का रेस्पोडेण्टगण को कोई अधिकार नहीं था। ऐसे में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 द्वारा राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत कर खोले गए नामान्तरण संख्या 2174 को निरस्त किया जावे। इसके साथ संपादित विक्रय पत्र को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 14 ने मिलकर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन कर दिया गया है। जिससे अपीलांट एवं उसके परिजन को खातेदार काश्तकार अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण को तस्दीक कर प्रमाणित करने से अपील श्री मान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। भू–अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनुसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य था कि वह नामान्तरणकरण खोले जाते समय अपीलांट की उपस्थिति में उसका पक्ष को सुनकर विधिक वारिसानो व रेकोर्ड के बारे पुर्ण जानकरी रखकर नामान्तरण तस्दीक किया जाना था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जो साबित करता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अविधिक निर्णय पारित किया है जिससे उपरोक्त नामान्तरण को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 बिना अपीलान्टगण की सहमति के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी को मात्र नाम के आधार पर किसी को रहन, बक्षीस, विक्रय एवं अन्य हस्तांतरण नहीं करे। हस्तांतरण किया जाने पर शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को निरस्त नहीं किये जाने पर अपीलांट न्याय से वंचित होगे। राजस्व कर्मचारी द्वारा मृतक सुर्यकांता के विधिक वारिसान की जानकारी किए बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के नाम खोले गए नामान्तरण संख्या 2174 को खोलकर विधि की भारी भूल की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज 4 पर

Scanned with OKEN Scanner

जिससे अपीलांट व उसके भाई एवं बहन को खामियाजा भुगतना पड रहा है। मूलपुरूष कोदरलाल की पुत्री आनन्दी बहन के पुत्र जगदीश के लाओलाद फोत होने से उनका 1/5 हिस्सा सभी खातेदारों के नाम दर्ज किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 19 को जरीए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा अवसर देने पर भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 15 से 18 की ओर जरिए अधिवक्ता विरेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित हुए। लगातार अवसर देने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 15 से 18 का जवाब बंद कर एकक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 19 तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत किया कि वर्तमान खातेदारों ने पैरा 2 में वर्णित भूमि में से आराजी नं. 2259 एवं 2268 का बिकाव कर दिया है तथा आवासीय संपरिवर्तन हो चुका है तथा शेष भूमि का खातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवारा करा दिया। अपीलांट द्वारा साक्ष्य सबूत के आधार पर मृतक सूर्यकान्ता का वारिस होना सिद्ध कराया जाता है एवं इसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट, उसके भाई तरूणकुमार व बहन हेमलता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोडे जाने का आदेश दिया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 19 को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस तथा अपीलांट की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 2259 व 2268 को आबादी भूमि में संपरिवर्तन करवाकर रेस्पोडेंट द्वारा विक्रय कर दिये जाने से अनावश्यक कानूनी विवाद को बढाना नहीं चाहते हैं इसलिये उक्त दोनों आराजी की भूमि को छोड़कर खाता संख्या 225 के शेष खसरा नम्बर 2118, 2120, 2162, 4747, 5318, 5532, 5533, 5553, 5554, 5555, 873, 874 खेत किता 12 की भूमि में 1/5 हिस्से में सुर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलांट, उसके भाई तरूणकुमार एवं बहन हेमलता के नाम नामान्तरण दर्ज किया जावे।

हमने बहस एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली में शामिल साक्ष्य दस्तावेजों, पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि नामान्तरणकरण संख्या 2174 को अपास्त कर मौजा धम्बोला में खाता संख्या 225, खसरा नम्बर 2118, 2120, 2162, 2259, 2268, 4747, 5318, 5532, 5533, 5553, 5554, 5555, 873, 874 खेत किता 14 कुल रकबा 1.2708 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्से में सुर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलांट, उसके भाई तरूणकुमार एवं बहन हेमलता के नाम नामान्तरण खोला जाना न्यायहित में आवश्यक है। वक्त बहस अपीलांट द्वारा शपथ–पत्र पेश कर तथा अधिवक्ता वादी द्वारा बहस निवेदन किया कि खसरा नंबर 2259 व 2268 को आबादी संपरिवर्तन करवाकर विक्रय कर दिये जाने से अनावश्यक विवाद से बचने हेतु इस पर अपीलांट कोई उजरदारी नहीं चाहता है। अतः इन दोनों आराजी को छोडकर शेष आराजी संख्या 2118, 2120, 2162, 4747, 5318, 5532, 5533, 5553, 5554, 5555, 873, 874 खेत किता 12 की भूमि में 1/5 हिस्से में सूर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलांट प्रकाश कुमार, तरूण कुमार एवं हेमलता माता सूर्यकांता बेन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज 5 पर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मौजा धम्बोला में खाता संख्या 225, खसरा नम्बर 2118, 2120, 2162, 4747, 5318, 5532, 5533, 5553, 5554, 5555, 873, 874 खेत किता 12 में 1/5 हिस्से में सुर्यकांता के विधिक वारिसान अपीलांट प्रकाश कुमार गोर, तरूणकुमार एवं हेमलता माता सूर्यकांता पिता भालचन्द्र गोर निवासी मालपुर तहसील मालपुर जिला अरवल्ली गुजरात का नाम राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज किये जाने आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सीमलवाडा आदेशानुसार पालना करे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner